न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), इटावा।

उपस्थितः प्रज्ञा सिंह–II .....उ०प्र० न्यायिक सेवा।

(J.O. ID. UP-01949)

UPEW050003722023

मूल प्रकीर्ण वाद संख्या–24/2023

उमा सक्सेना पत्नी स्व० अजय स्वरूप उर्फ अजय सक्सेना उम्र 58 वर्ष निवासी–म०न० 251 गाड़ीपुरा इटावा।

.....आवेदिका

बनाम

1. रवि सक्सेना पुत्र स्व० अजय सक्सेना उम्र 38 वर्ष
2. गौरव सक्सेना पुत्र स्व० अजय सक्सेना उम्र 33 वर्ष
3. विक्रम सक्सेना पुत्र स्व० अजय सक्सेना उम्र 31 वर्ष

सर्व निवासीगण–207 गाड़ीपुरा तहसील व जिला इटावा।

.....विपक्षीगण

–:निर्णय:–

प्रस्तुत मूल प्रकीर्ण वाद आवेदिका उमा सक्सेना 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक अजय सक्सेना पुत्र स्व० ज्ञान स्वरूप सक्सेना निवासी–207 गाड़ीपुरा तहसील व जिला इटावा द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में आवेदिका का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपने पति अजय सक्सेना के नाम डाकखाना सत्यवादी इटावा में खाता सं०–2188461352 में जमा धनराशि मु०–5,40,234/-रुपये जमा है। मृतक के उपरोक्त खाता में जमा धनराशि के बाबत आवेदिका के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनापत्र 4ग शपथपत्र 5ग से समर्थित है।

विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति कागज सं०–14ग मय शपथपत्र कागज सं०–15ग, 17ग व 19ग प्रस्तुत कर कहा गया है कि उपरोक्त वाद उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त धनराशि के सम्बन्ध में आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत कर दिये जाने पर विपक्षीगण को कोई भी, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची 7ग से छायाप्रति

दस्तावेज दाखिल किये गये तथा एक किता मूल पासबुक डाकखाना कागज सं०–11 ग, सूची 24 ग से एक किता मूल पासबुक डाकखाना कागज सं०–25 ग, सूची 27 ग से एक किता असल मृत्यु प्रमाणपत्र कागज सं०–28 ग, एक किता असल पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र कागज सं०–29 ग दाखिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, डाकखाना, इटावा की वर्तमान अद्यतन आख्या कागज सं०–23 ग दाखिल किये गये है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि आवेदिका उमा सक्सेना पत्नी स्व० अजय सक्सेना द्वारा प्रश्नगत वाद अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मृतक अजय सक्सेना द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि मृतक अजय सक्सेना की मृत्यु दिनांक 09.08.2022 को हो गयी, जैसा कि मृत्यु प्रमाणपत्र कागज सं०–28 ग से स्पष्ट होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि आवेदिका मृतक अजय सक्सेना की पत्नी हैं तथा विपक्षी सं०-1 लगायत 3 मृतक के पुत्रगण है, जैसा कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र कागज सं०-29 ग से स्पष्ट होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि मृतक अजय सक्सेना के नाम डाकखाना सत्यवादी इटावा में खाता सं०–2188461352 में जमा धनराशि मु०–5,40,234/-रुपये जमा है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के दिये जाने के उपरान्त मुनादी करायी गयी, नोटिस जारी किया, प्रकाशन कराया गया, परन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है, बल्कि विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति प्रस्तुत करके कहा गया कि उन्हें आवेदिका उमा सक्सेना के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदिका उमा सक्सेना जो कि मृतक अजय सक्सेना की पत्नी हैं, द्वारा प्रश्नगत वाद मृतक द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसमें विपक्षी सं०–1 लगायत 3 मृतक के पुत्रगण हैं, की ओर से आवेदिका के हक में प्रश्नगत धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है। मृतक अजय सक्सेना के नाम डाकखाना

सत्यवादी इटावा में खाता सं० –2188461352 में जमा धनराशि मु० –5,40,234/-रुपये जमा है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त धनराशि के बाबत ही उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहा गया है। उपरोक्त धनराशि के बाबत आवेदिका के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 4 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है। आवेदिका उमा सक्सेना पत्नी स्व० अजय सक्सेना के हक में मृतक अजय सक्सेना पुत्र स्व० ज्ञान स्वरूप सक्सेना निवासी–207 गाड़ीपुरा तहसील व जिला इटावा के नाम डाकखाना सत्यवादी इटावा में खाता सं०–2188461352 में जमा धनराशि मु० –5,40,234/-रुपये के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वांछित न्यायशुल्क तथा अण्डरटेकिंग अन्दर 15 दिन दाखिल करने पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नियमानुसार जारी किया जावे।

मुंसरिम कोर्ट फीस के संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

आवेदिका अण्डरटेकिंग व बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत करे कि यदि किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत धनराशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को अधिमान्यता दी जाती है तो यह आच्छादित धनराशि के समतुल्य धनराशि बिना शर्त यथानिर्दिष्ट व्यक्ति को अविलम्ब प्रदान करेगा।

धनराशि प्राप्त करने संबंध में मूल आवश्यक प्रपत्र आवेदिका को नियमानुसार वापस किये जावे। उक्त प्रपत्रों की एक–एक छायाप्रति न्यायालय के अभिलेख हेतु पत्रावली पर रखी जाए। नियत समय में वांछित न्यायशुल्क, अण्डरटेकिंग, शपथपत्र दाखिल न किये जाने पर पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांकः 31.05.2024

(प्रज्ञा सिंह–II)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
इटावा।
(J.O. ID. UP- 01949)

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 31.05.2024

(प्रज्ञा सिंह–II)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
इटावा।
(J.O. ID. UP-01949)